

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड,
8-ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

मैनुअल – सात

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की
संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के
सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन
के लिए विद्यमान हैं

नीति निर्धारण का कार्य उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर किया जाता है।
जनप्रतिनिधि एवं जनता से प्राप्त सुझावों को शासन स्तर पर संज्ञान में लेकर शासन द्वारा
दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये जाते हैं। उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त निर्देशों
के आधार पर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवम् उनके अधीनस्थ अधिकारियों
द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
